International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 03(I), July - September, 2022, pp. 51-56

कौशल विकास नीतियों से राजस्थान में महिलाओं के रोजगार की दशा का एक अध्ययन (2010–2020)

हरजीत सिंह*

सार

भारत सरकार द्वारा जननांकीय लाभांश 15 से 59 वर्ष के अंतर्गत शामिल श्रम शक्ति में महिलाओं और युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित करके स्थाई रूप से स्वरोजगार एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की घोषणा 2015 में की गई। राष्ट्रीय स्तर पर घोषित नीति के तहत संस्थागत ढांचा विकसित किया गया तथा निजी क्षेत्र का सहयोग लेते हुए विभिन्न संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। नीति के तहत प्रत्येक राज्य को यह दायित्व दिया गया अपने राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया जाए तथा 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग को वर्तमान अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नवीनतम कौशल विकास पाठयक्रमों को संचालित करके महिलाओं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। राजस्थान राज्य देश में अग्रणी है जिसने सितंबर 2004 में राजस्थान आजीविका मिशन (त्डव्स्) की शुरुआत कर दी थी 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके राजस्थान कौशल आजीविका मिशन कर दिया गया। 14 अगस्त 2010 में कंपनी अधिनियम के तहत राजस्थान कौशल एवम आजीविका विकास मिशन का पुनर्गठन किया गया वर्तमान में (त्स्क्ब्) यह मिशन ना ही लाभ और ना ही हानि के आधार पर क्रियाशील है प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कौशल विकास दिवसों. एवं अन्य अनेक कार्यक्रमों को संचालित करके राजस्थान राज्य में महिलाओं और युवाओं को रोजगार प्रदान करने का प्रयास कर रहा है यह शोध पत्र राजस्थान राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाओं को प्राप्त रोजगार की स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास है जिसके तहत द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है यह शोध का वर्णनात्मक प्रकार है महिलाओं के रोजगार की स्थिति का अध्ययन कर राज्य सरकार को उपयुक्त सुझाव देना भी इस शोध का उद्देश्य है।

शब्दकोश : *राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, संस्थागत ढांचा, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, महिला रोजगार, समस्याये और सुझाव।*

प्रस्तावना

ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक दासता से मुक्त होने के पश्चात भारत में आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई योजना आयोग द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधनों का अनुमान लगाकर 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया वर्तमान तक योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम योजना थी तत्पश्चात योजना आयोग का कार्य नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है आर्थिक विकास हेतु लागू पंचवर्षीय योजना को संचालित करने पर यह

* सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, एस.पी .एम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपालगढ़, जोधपुर, राजस्थान।

मान लिया गया था आर्थिक विकास के लाभ निचले स्तर पर पहुंचने से देश में गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी लेकिन शीघ्र ही 1970 में यह अनुभव हो गया कि गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के लिए राष्ट्रीय नीति को बनाने की आवश्यकता होगी क्योंकि 1947 से 2011 तक भारत की जनसंख्या अभूतपूर्व रूप से बड़ी है जिसके कारण भारत की श्रम शक्ति 15 से 59 वर्ष के बीच बढ़ गई तथा भारत जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में हो गया परंतु इस विशाल श्रम शक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी अकुशल, असंगठित एवम अप्रशिक्षित होना है जिसके कारण निरंतर बढ़ रहे निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निजी उद्योगों एवं क्षेत्रों को प्रशिक्षित श्रम शक्ति प्राप्त होना मुश्किल हो रहा है इस कारण भारत के आर्थिक विकास को उच्च स्तर पर ले जाया जाना संभव नहीं हो पा रहा श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का भी है जिसमें ग्रामीण और शहरी महिलाएं दोनों शामिल हैं शिक्षा के निम्न स्तर होने के कारण महिलाओं में कौशल विकास प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है नवीनतम कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाकर महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार देकर उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाना है इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की घोषणा 2015 में की गई** जिसके तहत पूरे देश में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संस्थानिक ढांचा विकसित किया गया तथा राज्यों को यह जिम्मेदारी दी गई अपने राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण के नवीनतम कार्यक्रमों को लागू करके महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार एवम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए।

राजस्थान में कौशल विकास

किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का अलग ही महत्व है आजादी के बाद 70 वर्षों में उत्पादन के आंकड़े भले ही उछाल पर रहे हैं परंतु बेरोजगारी की समस्या का समाधान हमेशा चिंता और चिंतन का विषय रहा वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार ने इस विषय की गंभीरता को अनुभव भी किया है तथा सरकारों द्वारा विभिन्न नवाचार कर नीतियों को रोजगार परक बनाया गया है राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के जरिए 450000 युवाओं को अलग–अलग क्षेत्रों एवं व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया गया राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने इस अवधि में 168000 युवाओं को तथा राजकीय एवं गैर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से 297000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सितंबर 2004 में राजस्थान आजीविका मिशन का गठन किया गया वर्तमान सरकार ने इसे और अधिक व्यापक रूप देते हुए 2014 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले एक सक्षम और सशक्त एकक के रूप में सामने रखा जिससे यह राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम बन गया और गतिविधियों की व्यापकता के साथ एक नए रूप में सामने आया प्रशिक्षणए आजीविका नवप्रवर्तन, देश के अंदर एवं बाहर विभिन्न संस्थानों, सरकारी विभागों, निगमों के बीच आपसी संपर्क एवम समन्वय और विद्यमान नियमों के अधीन रोजगार सर्जन की दृष्टि से एक सशक्त एजेंसी के रूप में निगम की पहचान हुई है कौशल एवं आजीविका को बढ़ावा देने के लिए रणनीति बनाना, आजीविका का मजबूत वातावरण, आजीविका एवं कौशल–अभिवृद्धि के लिए शोध एवम अध्ययन, निष्पादन मानकों को विकसित करना, समय पर लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करना, आर्थिक रूप से कमजोर एवं समाज के मध्यम वर्ग के लिए सरकारी नीतियों के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, तथा वर्तमान तक खोजे गए और नहीं खोजे गए क्षेत्रों में रोजगार के नए मार्ग सृजित करने के उद्देश्य से स्थापित इस एजेंसी को परिणाममूलक बनाया गया हैं राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार सृजन के आदर्श अवसर देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं इन योजनाओं में शहरी एवं ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं और युवाओं, दिव्यांगों, जेल इनमेट्स, बाल सुधार गृह के लिए नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, शहरी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास पहल योजना प्रमुख है इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण के लिए विशेष

योजना तथा भामाशाह रोजगार सृजन योजना भी महत्वपूर्ण है इन योजनाओं के तहत 168000 से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है केंद्रों की संख्या 280 है जिसमें 20701 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं इन योजनाओं के माध्यम से अब तक 64200 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो चुके हैं केंद्रीय कृत सूचना तैयार करने प्रभावी पर्यवेक्षण एवं दोहरीकरण रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं संचालन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा किया जाए राज्य सरकार ने 9 विभागों की प्रशिक्षण योजनाओं को निगम के माध्यम से संचालित करने का निर्णय किया है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, भवन एवं अन्य निर्माण मंडल, श्रम आयुक्त कार्यालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम, स्वायत शासन विभाग, ग्रामीण विकास कार्यक्रम विभाग, सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलात, वन एवं महिला अधिकारिता विभाग की प्रशिक्षण गतिविधियां निगम को सौंपी राज्य सरकार की अभिसरण योजना के अंतर्गत अब तक 29600 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है राज्य सरकार ने नवाचार करते हुए सभी कौशल विकास केंद्र को बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम से जोड़ने का निर्णय किया है ताकि पर्यवेक्षण कार्यों को अधिक प्रभाव पूर्ण बनाया जा सके मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रोजेक्ट लाइफ एक अनूठी पहल है इसके तहत मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास एवं उन्नयन कर उनकी सीमित रोजगार स्थिति (1 वर्ष में 100 दिवस) को पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में लाना है इसके अंतर्गत 2 वर्ष में 86000 पात्र अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार ने योजना प्रबंधन को शिक्षा में प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आई.एस.एम.एस. प्रणाली लागू की है इस पोर्टल का उद्देश्य विभिन्न हित धारको तथा राजस्थान एसएलडीसी प्रबंधन राज्य के साथ कन्वर्जेस योजना के तहत जुड़े विभिन्न विभाग, प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं, कौशल विकास केंद्र, प्रशिक्षणार्थी राज्य एवं जिला कार्य दल, असेसमेंट एजेंसियां, रोजगार प्रदान करने वाली संस्थाएं एवं इच्छुक युवा आदि को एक साथ लाना है यही नहीं प्रदेश में आरएसडीसी, आईटीआई, एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज, तथा अप्रैटिसशिप आदि साझेदारी द्वारा जो भी कौशल संबंधित क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उन्हें एकीकृत करने के लिए कॉमन पोर्टल विकसित किया गया है राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम की पिछले 3 वर्षों में रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखने वाले 15 अभिरुचि प्रस्तावों जिनमें 12 आर्थिक क्षेत्र के, और 3 सामान्य क्षेत्र, के हैं को सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों एवम उद्योगों के साथ साझेदारी में मिले हैं इन प्रस्तावों के माध्यम से उद्योग और प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों को आमंत्रित कर रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार ने युवाओं को अधिकाधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए नए क्षेत्रों की खोज की है इसके तहत मेडिकल नर्सिंग एलाइड हेल्थ केयर, स्पा एवं वैलनेस, न्यूट्रीशन एवं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि प्रस्ताव जारी किए हैं इसके अलावा लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य, हैंडीक्राफ्टस, फड़ पेंटिंग, थेवा आर्ट तथा अन्य सामान कौशल में भी अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं बायोमेड एकेडमी ने डायलिसिस असिस्टेंट तैयार करने के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया है राज्य सरकार ने बड़ी पहल करते हुए प्रदेश में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है इस विश्वविद्यालय के अधीन वर्तमान में उच्च श्रेणी के इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल सोलर एनर्जी अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनए पर्यावरण उत्कृष्टता एवं मांग के अनुसार अन्य उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार की पहल का परिणाम है कि आरएसएलडीसी ने जाने–माने उद्योगों के साथ कौशल विकास एवं रोजगार सर्जन की बड़ी भागीदारी की है रिसर्जेंट राजस्थान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदेश में कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग ने बेरोजगार एवं वंचित वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 11 समझौते किए हैं जो एक बड़ी उपलब्धि है।

राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम अपनी संचालित गतिविधियों के मूल्यांकन कार्य को बेहतर एवं प्रभावी बनाने के लिए कृत संकल्प है यही कारण है कि क्रियान्वयन के मूल्यांकन के तृतीय पक्ष मूल्यांकन द्वारा योजना बनाई गई है इसके तहत अलग–अलग क्षेत्रों में सेक्टर स्किल काउंसिल से मूल्यांकन करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वर्तमान में इस तरह के 18 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अन्य क्षेत्रों से भी हस्ताक्षर प्रक्रिया जारी है अब तक छप्पन हजार से अधिक युवाओं का तृतीय पक्ष

मूल्यांकन करवाया गया है और सफल युवाओं को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए अनेक नवाचार किए हैं इसके तहत कौशल कैलेंडर भी तैयार करवाया गया है इसमें आगामी महीनों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमानित विवरण है कौशल कैलेंडर के आधार पर इच्छुक युवक युवतियां अपने स्तर पर पाठयक्रम और क्षेत्रों का चयन सुविधा से कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के बढ़ने के स्तर उनकी ऋण जरूरतों के अनुसार तीन वित्तीय उत्पाद बनाए गए हैं शिशु किशोर एवं तरुण उत्पाद के रूप में इनका विश्लेषण कर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 186000 युवाओं को नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए लाभान्वित किया जा चुका है राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कराया जाता है विशेष ग्राम सभा के प्रथम चरण में 10 दिसंबर 2014 को राज्य में 80000 इच्छुक एवं योग्य युवक और युवतियों की पहचान की गई द्वितीय चरण 9 दिसंबर 2015 को पुनरू विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन राज्य के 32 जिलों की 288 पंचायत समितियों की 9604 ग्राम पंचायतों में किया गया जिसे राज्य भर में 167000 इच्छुक योग्य युवक–युवतियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए पहचान की जा चुकी है राज्य के समस्त जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को वित्तीय कौशल पर ज्ञान अभिवर्धन हेतु निगम द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में चलाया गया है वर्तमान में 75 वित्तीय साक्षरता अभियान के माध्यम से कुल 5104 युवाओं को वित्तीय कौशलए मुद्रा योजना आदि की जानकारी प्रदान की गई है प्रशिक्षणार्थियों में कौशल प्रशिक्षण के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से आरएसएलडीसी द्वारा मार्च 2015 में स्किल आइकॉन ऑफ द मंथ की शुरुआत की है इसके लिए प्रतिमाह जिलों से प्राप्त आवेदनों में से आरएसएलडीसी में गठित चयन समिति द्वारा स्किल आइकॉन पुरस्कार दिया जा रहा है आरएसएलडीसी द्वारा 15 जुलाई 2015 को प्रथम एवं 15 जुलाई 2016 को द्वितीय विश्व युवा कौशल का आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन आर एस एल डी सी ने सीआईआई के संयुक्त तत्वाधान में किया जिसमें युवाओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं, रोजगार प्रदाता एवं जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी थी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कौशल और आजीविका विकास समिति का गठन किया गया है इस समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती है इसमें जिला स्तर पर कौशल विकास केंद्रों की प्रगति एवं भावी योजनाओं पर चर्चा की जाती है 3 वर्षों में 1000000 युवक–युवतियों को रोजगार, 300000 को प्रशिक्षण, योजना एवं गतिविधियों की क्रियान्विती में पारदर्शिता एवं नवाचार ऐसे कदम है जो राजस्थान में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से रोजगार सृजन की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

महिलाओं के रोजगार की दशा 2010–2020

राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर निम्न है ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का स्तर और भी कम है इसके कारण रोजगार प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी कम है एनएसएस के 2011.12 के 68 वे दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति (समायोजित) के अनुसार बेरोजगारी इस प्रकार बताई गई है

श्रमशक्ति केः रूप में

	ग्रामीण क्षेत्र (UPSS)	शहरी क्षेत्र (UPSS)	कुल ग्रामीण + शहरी (UPSS)
पुरूष	0.9	3.2	1.4
महिला	0.4	2.5	0.7
कुल व्यक्ति	0.7	3.1	1.2

राज्य में कार्यशील जनसंख्या 3 करोड़ आंकी गयी है जो प्रतिवर्ष 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है जिससे 6 लाख नए व्यक्ति हर वर्ष श्रम शक्ति में जुड़ जाते हैं बेरोजगारों की पूर्व संख्या को मिलाने पर हमें प्रतिवर्ष 7 से 8 लाख लोगों के लिए रोजगार सर्जन की आवश्यकता होती है प्रोफेसर विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता में'' राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का आकार तथा भावी अनुमान पर नियुक्त समिति ने अपनी दिसम्बर 1991 की अंतिम रिपोर्ट में बतलाया था कि 1990 के आरंभ में राज्य में बेरोजगारी की बकाया संख्या 4.

83 लाख थी तथा 15 से 59 वर्ष की आयु में श्रम शक्ति 1990–1995 में 20.5 लाख तथा 1995–2000 में 23.3 लाख और बढ़ेगी इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए 1990 के दशक में कुल लगभग 49 लाख व्यक्तियों के लिए नए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी इसके लिए रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत प्राप्त करनी होगी जिससे वर्ष 2000 में पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सके समिति के अनुसार 1980 के दशक में राज्य में रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत रही थी

राजस्थान मैं रोजगार के अवसर की स्थिति

क्षेत्र	चालू रोजगार (2007 में) (लाख)	2015 तक कुल रोजगार (लाख में)
• निर्माण	5.00	31.88
• वस्त्र	8.60	16.98
• स्वास्थ्य देखभाल	1.42	4.73
• पर्यटन व आतिथ्य	1.70	4.00
• खाद्य प्रसंस्करण	0.22	2.54
• ओटो कारीगर	0.75	2.80
• रत्न और जवाहरात	0.50	1.88
• दस्तकारी	7.00	8.37
• ओटो व इन्जिनिएरिंग	0.37	1.29
• बैंकिंग और वितिय सेवाएँ	0.76	1.51
• ICT	0.06	0.48
• खान और खनिज	4.60	4.99
• खुदरा	1.44	1.78
कुल	**32.42**	**83.23**

इस प्रकार 2006–07 की तुलना में 2015 तक 50 लाख से 52 लाख व्यक्तियों की विभिन्न उद्योगों और सेवाओं में आवश्यकता होगी राजस्थान रोजगार अवसरों की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए राजक्विक, समर्थ, सक्षम योजना प्रारंभ की गई है महिलाओं को विशेषकर कौशल प्रशिक्षण देने हेतु विशेष प्रयास किए गए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 तक 35 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है तथा 10 लाख महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार को देने का लक्ष्य रखा गया राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा अब तक लगभग 50000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

महिलाओ के रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित समस्यायें

राजस्थान सरकार और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा महिलाओं की कौशल प्रशिक्षण और रोजगार हेतु निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है निम्नलिखित कारण उत्तरदाई है –

- महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न होना।
- कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाना।
- कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की अपर्याप्तता होना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के सीमित अवसर होना।
- नवीनतम कौशल प्रशिक्षण पाठयक्रमों का अभाव होना।
- कौशल प्रशिक्षण के उपरांत आवश्यक स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त होने में विलंब होना
- महिलाओं द्वारा रोजगार उपलब्धता के सीमित क्षेत्र होना।
- महिलाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी नहीं होना।

सुझाव

- महिलाओं को अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत रियायती दर पर ऋण दिया जाए जिसमें अनुदान का अंश ज्यादा हो।
- कौशल प्रशिक्षण के साथ–साथ महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार संबंधी जानकारी दी जाए।
- राज्य सरकार को अधिकाधिक महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों और पाठयक्रमों की व्यवस्था की जाए।
- निजी क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के घंटे नियमित किया जाए जिससे कार्य और आराम में संतुलन बन सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक आधार संरचना विकसित की जाए तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित योजनाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को रोजगार दिया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Singh, R. (2020)- Indian Economy for Civil Services Examinations. Tata McGraw-Hill Education.
2. Sozz S.A. (2019)- The Great Disappointment: How Narendra Modi Squandered a Unique Opportunity to Transform the Indian Economy, Penguin Random House India Private Limited.
3. Kanungo, R. P., Rowley, C., & Banerjee, A.N. (Eds.). (2018)- Changing the Indian Economy: Renewal, Reform and Revival. Elsevier.
4. Tilak, J. B., Tilak, J.B., & Ghosh, (2018). Education and development in India. Palgrave Macmillan.
5. Puri, V.K., & Misra, S.K. (2017). Indian economy (Vol. 139)- Himalaya publishing house, Mumbai.
6. Pandya, R. (2016). Skill Development & Entrepreneurship in India. New Century Publications.
7. Sharma, M. (2016). Restart: The last chance for the Indian economy- Random House India.
8. Ghosh, C., & Ghosh, A. (2016). Indian economy a macro & theoretic analysis. PHI Learning Pvt. Ltd.
9. Singh, A.K. (2016). Inclusive Urban Development in India. Global Research Publications.
10. Konrad, A.S. (2015). Skill Development in India (Vol. 1).
11. Kumar, M., Sahay, N., & Bihari, S., (2021)- Role of private Sector in Financing of Skill Development in India. Psychology and Education Journal, 58(1), 5567-5572.
12. Tyagi, R., Vishwakarma, S., Rishi, M., & Rajiah, S. (2021). Reducing Inequalities Through Education and Skill Development Courses. Reduced Inequalities. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham- https://doi.org/10.1007/978-3-319&71060-0_102-1.

❖◆❖